

प्रेषक,

आर० के० तोमर,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तांतरण, इन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक: 14 मई, 2016

विषय:-जनपद-उत्तरकाशी के अंतर्गत सुनाल्डी से ज्येष्ठाड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.7825 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3419/FP/UK/ROAD/8938/2014, दिनांक 17.05.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद-उत्तरकाशी के अंतर्गत सुनाल्डी से ज्येष्ठाड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.7825 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के शासनादेश संख्या-एफ०न०-11-09/98-एफ० सी० दिनांक 13 फरवरी, 2014 एवं दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 में निहित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 5.565, है० सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षों का यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार निर्धारित संख्या में वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई०ए०सं०-566 एवं भारत सरकार पत्र सं०-5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्त अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई०ए०सं०-566 एवं भारत सरकार पत्र सं०-5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०)

(ह)

तथा दूसरी सभी निधियों की धनराशि का आंकलन प्रभागीय वनाधिकारी से प्राप्त कर ऑन-लाईन अपलोड करेगा जिसे नोडल अधिकारी द्वारा ऑन-लाईन सत्यापित करने के पश्चात प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकारण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक में ऑन-लाईन प्रक्रिया से प्राप्त चालान के अनुसार जमा करेगा। तत्पश्चात म्यूटेशन का विवरण अपलोड किया जायेगा। जिसकी पुष्टि नोडल अधिकारी द्वारा ऑन-लाईन किया जायेगा। तत्पश्चात प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का बिन्दुवार अनुपालन आख्या संलग्नकों सहित ऑन-लाईन अपलोड करेगा। जिसे प्रभागीय वनाधिकारी व नोडल अधिकारी के माध्यम से विधिवत स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को ऑन-लाईन/हार्ड कॉपी प्रेषित किया जायेगा।

6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
7. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
8. प्रस्तावक विभाग/एजेन्सी द्वारा वन अधिकार अधिनियम-2006 में निहित प्रावधानों अनुसार समस्त आवश्यक अभिलेखों/प्रपत्रों को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
9. उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

भवदीय,

PKO

(आर० के० तोमर)

संयुक्त सचिव।

संख्या: 525(1)/X-4-16/1(163)/2016, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, एफ०आर० आई०, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी,
5. प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन वन प्रभाग, बडकोट, उत्तरकाशी।
6. अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बडकोट, उत्तरकाशी।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Abhishek

(अखिलेश मिश्रा)

अनु सचिव।

H